



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>नकल जमावदी के अनुसार खण्ड नं० <math>\frac{951}{0.39}</math> में वादी व प्रतिवादी का <math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{1}{2}</math> हिस्सा है एवं इसी अनुसार खण्ड नं० <math>\frac{275}{0.39}</math> में भी प्रतिवादी व वादी का <math>\frac{1}{2}</math>-<math>\frac{1}{2}</math> हिस्सा है। रेकार्ड के अनुसार दोनों नम्बरों में वादी व प्रतिवादी की समान रकम पर अर्थात् 39-39 स्वर भूमि पर स्वातेदारी की है। अब वादी व प्रतिवादी अपने अपने नाम 39-39 स्वर भूमि की स्वातेदारी में पृथक पृथक नम्बर चाहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भी वादी का खण्ड नं० <math>\frac{951}{0.39}</math> पर व प्रतिवादी का <math>\frac{275}{0.39}</math> पर कब्जा कायम है। अतः खण्ड नं० <math>\frac{951}{0.39}</math> की स्वातेदारी वादी के नाम व खण्ड नं० <math>\frac{275}{0.39}</math> की स्वातेदारी प्रतिवादी के नाम किस जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।</p> <p>अतः वादी का वादपत्र बनकर राजीनामा डिक्री किया जाकर भूमि खण्ड नं० <math>\frac{951}{0.39}</math> ग्राम नौगांव का वादी गिरजि सिंह को व खण्ड नं० <math>\frac{275}{0.39}</math> ग्राम नौगांव का प्रतिवादी भरत सिंह को स्वातेदार कश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में डुरुस्ती की जावे। पचा डिक्री जारी किया जावे। पञ्च पालना हेतु तहसीलदार गंगपुर को लिखा जावे। पञ्चावली पैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं खाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

*(सतीश कुमार शर्मा AM)*  
सदस्य

लोक अदालत  
गंगपुर सिटी  
कैम्प नौगांव

*(मुनिदव यादव)*  
अध्यक्ष

लोक अदालत  
गंगपुर सिटी  
कैम्प नौगांव  
उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी  
कैम्प नौगांव

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प नौगांव

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

गिर्राजसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी — वादी

बनाम

भरतसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी — प्रतिवादी

दावा घोषणाएं एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं. — 43/2015

वादी की ओर से वादी गिर्राजसिंह पुत्र नैनसिंह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी भरतसिंह पुत्र नैनसिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम नौगांव स्थित भूमि ख0नं0 951 रकबा 39 एयर का वादी गिर्राजसिंह को एवं ख0नं0 275 रकबा 39 एयर का प्रतिवादी भरतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- जौगांव

**राजीनामा प्रपत्र**

दिनांक 26-5-2015

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

गंगापूर सिटी

गिरजिसिंह

वनाम भरतसिंह

प्रकरण संख्या :-

अन्तर्गत धारा 88 R.T.A.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री गिरजिसिंह पुत्र नैनसिंह, राजपूत, जौगांव  
दन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो  
एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

ग्राम जौगांव की भूमि खण्ड नं० 951 रकबा 39 स्यर व खण्ड नं० 275 रकबा  
39 स्यर में मेरा वादी का व भरतसिंह प्रतिवादी का 1/2-1/2 हिस्सा है।  
मौके पर मेरा वादी का खण्ड नं० 951 रकबा 39 स्यर पर एवं प्रतिवादी भरतसिंह  
का खण्ड नं० 275 रकबा 39 स्यर पर कब्जा का है। हम दोनों पक्षकार इसी  
प्रकार पूरा पूरा नम्बर अपनी स्वातेदारी में दर्ज कराने को सहमत हैं। इसी अनुसार  
खण्ड नं० 951 की स्वातेदारी वादी गिरजिसिंह के नाम व खण्ड नं० 275 की स्वातेदारी भरतसिंह  
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें। के नाम कर दी जावे

गिरजिसिंह

भरतसिंह

- 1. गिरजिसिंह पुत्र नैनसिंह
- 2. राजपूत, जौगांव
- 3. ....
- 4. ....

- प्रतिवादी पक्ष 1. भरतसिंह पुत्र नैनसिंह
- 2. राजपूत, जौगांव
- 3. ....
- 4. ....

दुर्गा प्रसाद  
हस्ताक्षर

दुर्गा प्रसाद  
हस्ताक्षर  
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत जौगांव  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी गिरजिसिंह पुत्र नैनसिंह, राजपूत एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी भरतसिंह पुत्र नैनसिंह राज  
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना  
किया गया। अतः राजीनामा हस्तखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

सतीश कुमार शर्मा  
(ह0 सदस्य)

सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
कैम्प जौगांव

मुनिदेव यादव  
अध्यक्ष  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी कैम्प जौगांव

गिरजिसिंह  
मेरे  
हमने पूर्व में  
ये दोनो  
हो गये हैं  
का बिज है  
खण्ड नं० 275  
0.39  
हम दोनो  
पूरा रखसरा

तिवादी  
का  
दी जावे।  
हो वादी)

पुत्री /  
पथपूर्वक व  
कोई गलत

वादी  
सतीश कुमार शर्मा